न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./2004/ 5456/धौलपुर

1– मोहनसिंह पुत्र श्री मोतीराम, जाति लोधा निवासी ग्राम सलेमपुर तहसील एवं जिला धौलपुर।
2– माया पुत्री मोतीराम, पत्नि लाखन जाति लोधा निवासी धौलपुर।
3– गुड्डी पुत्री मोतीराम पत्नि सांमा जाति लोधा निवासी ग्राम सलेमपुर तहसील एवं जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1– रामबाबू) पुत्रान श्री रामजीलाल, जाति लोधा निवासी ग्राम
2– भगवानसिंह) सलेमपुर तहसील एवं जिला धौलपुर।
3– रामजीलाल पुत्र श्री वेदरिया जाति लोधा निवासी ग्राम सलेमपुर तहसील एवं जिला धौलपुर।
4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

.....रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थितः
श्री जे. पी. माथुर, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री अजयपाल डिढारिया, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

दिनांक : 04–11–2019

निर्णय

1– यह अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय डिक्री दिनांक 24–6–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोन्डेन्ट / वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा–88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत एवं दुरूस्ती इन्द्राज का विरूद्ध

अपीलान्ट उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर–210 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा जो कि ग्राम सलेमपुर तहसील धौलपुर में स्थित है। उक्त भूमि के आधे हिस्से के खातेदार काश्तकार अपीलान्ट / प्रतिवादी के पति/पिता मोतीराम व प्रतिवादी संख्या–3 रामजीलाल विवादित आराजी व अन्य आराजी के साथ खातेदार थे और मृतक मोतीराम ने सुविधा के लिये प्रतिवादी संख्या–3 रामजीलाल के साथ विवादित भूमि का बाहमी बंटवारा कर लिया जिसमें आराजी खसरा नम्बर–210 मोतीराम के हिस्से में पृथक से आई जिस पर एकमात्र अपीलान्ट का कब्जा काश्त था और उसने उक्त भूमि के समस्त अधिकार दिनांक 5–7–1979 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र वादी को कर दिये, तब से वह भूमि पर काबिज काश्त है किन्तु राजस्व अधिकारियों ने 1/2 हिस्से का नामान्तरकरण प्रतिवादी के नाम कर दिया जबकि समस्त भूमि का नामान्तरकरण वादी के हक में करना चाहिये। यह भूमि बाहमी बंटवारे में आई है जिसका उल्लेख विक्रय पत्र में किया गया है। बाद में नामान्तरकरण संख्या–113 के अमल पर रोक लगा दी गई तथा प्रतिवादी संख्या–3 रामजीलाल का 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसे दुरूस्त करवाने का वह अधिकारी हैं। विकल्प में निवेदन किया कि उनको मोतीराम के हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये एवं अन्त में दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

3– परीक्षण न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये। प्रतिवादी संख्या–3 रामजीलाल बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुआ जिससे उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या–1 व 2 ने उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत किया जिसमें वाद पत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुये निवेदन किया कि उनके पिता/पति मोतीलाल द्वारा उनका 1/2 हिस्सा कभी भी रेस्पोन्डेन्ट / वादी को दिनांक 5–7–1979 को विक्रय नहीं किया है। उसने कूट रचना कर अपने लाभ हेतु यह बयनामा बनवाया है। आराजी

पर वादी का कोई भौतिक कब्जा नहीं है। मोतीराम व रामजीलाल के मध्य कभी कोई बाहमी बंटवारा नहीं हुआ तथा भूमि पैतृक होने से उनका जन्म से ही अधिकार है। अन्त में दावा निरस्त करने की प्रार्थना की।

4– परीक्षण न्यायालय ने दावा व जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की। पी.डब्ल्यू.–1 रामबाबू, पी.डब्ल्यू.–2 सियाराम पुत्र रतनसिंह, पी.डब्ल्यू.–3 लाखन सिंह पुत्र छोटेसिंह, डी.डब्ल्यू.–1 मोहन सिंह पुत्र मोतीराम व डी.डब्ल्यू.–2 सूखा पुत्र उद्धा के साक्ष्य दर्ज किये गये। परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 25–2–2002 को निर्णय पारित कर दावा डिक्री किया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर में प्रथम अपील की। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर ने अपने निर्णय दिनांक 24–6–2004 के द्वारा अपील खारिज कर दी। विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय दिनांक 24–6–2004 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

5– बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

6– अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस की कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24–6–2004 न्याय, नियम व रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादीगण यह सिद्ध करने में सफल नहीं हुये कि मोतीराम व रामजीलाल के मध्य कोई बाहमी बंटवारा हुआ था और आराजी खसरा नम्बर–210 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा मोतीराम के आधिपत्य एवं हिस्से में आई हो। ऐसी कोई साक्ष्य नहीं होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने बाहमी बंटवारा होना मानकर निर्णय पारित करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालयने

इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में अंकित इस तथ्य को भली–भांति सिद्ध करवाया था कि विवादित भूमि पक्षकारान की संयुक्त भूमि है तथा वादी ने कूटरचना कर अपीलान्ट को भूमि से महरूम करने की गरज से यह बाहमी बंटवारे की कहानी रची गई है। मोतीराम का समस्त खाते में 1/2 हिस्सा था एवं उसने अपने जीवनकाल में विवादित भूमि का रेस्पोन्डेन्ट के हक में कोई विक्रय नहीं किया। वादीगण के हक में नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध होता है कि उक्त बयनामा कूटरचित व फर्जी दस्तावेज है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिसमें अपीलान्ट का जन्म से अधिकार है एवं तथाकथित बयनामा प्रारम्भतः शून्य है जिसके आधार पर वादी का दावा डिक्री नहीं किया जा सकता है। अपीलाधीन आदेश आदेश–41 नियम–31 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। द्वितीय अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को सद्भाविक मानते हुये उक्त देरी को न्यायहित में शमित करने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया।

7– रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 से 3 के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि यह अपील गलत, झूंठे व बनावटी आधारों पर पेश की है जो सारहीन होने के कारण काबिल खारिज है। परीक्षण न्यायालय द्वारा खातेदारी अधिकार पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर प्रदान किये हैं। पंजीकृत बयनामा को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त करवाये बिना अपीलार्थीगण को किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। रेस्पोन्डेन्ट / वादीगण ने तनकी संख्या–1 व 2 को भली–भांति साबित किया है जबकि अपीलान्ट / प्रतिवादी संख्या–1 व 2 ने तनकी संख्या–3 को भली भांति साबित नहीं किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने साक्ष्य, सबूत आदि लेकर निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की कतई गुन्जाईश नहीं है। उन्होंने 2000 आर.बी.जे पेज–48, 134, 137, 221, 273, 314, 340,

376 व 497 प्रस्तुत कर बताया कि राजस्व मण्डल में यह अभिमत प्रकट किया है :–

"Concurrent findings of fact connot and should't be interfused in Second Appeal''

8– इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालयने 1997 AIR Page-2213 में निम्न अभिमत प्रकट किया है :–

"Concurreant finding of fact, howebarer erroneous, could not be interfered in Second Appeal.''

उक्त अभिमत के अनुसार यह द्वितीय अपील काबिल खारिजी है।

9– उक्त लिखित बहस में उन्होंने आगे कथन किया कि अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम गलत होने से अस्वीकार है। उक्त प्रार्थना पत्र में जानबूझकर झूंठे, गलत व मनगढ़ंत बातें लिखकर गुमराह करने का प्रयास किया गया है। अपीलान्ट्स को निर्णय की शुरू से ही जानकारी थी इसके बावजूद भी जानबूझकर देरी से अपील पेश की गई है। बीमारी व डाक्टर आदि के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। अतः देरी को शमित करने के सद्भाविक एवं संतोषजनक कारण नहीं बताये गये हैं। अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से नकलें दिनांक 6–7–2004 को ही ले ली थी। इसके पश्चात भी उक्त अपील दिनांक 9–11–2004 को लगभग 4 माह के पश्चात प्रस्तुत की गयी है जो मियाद के बाहर है। मियाद बाहर होने के कारण उक्त अपील निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

(i) RBJ 2002 Page-201
(ii) RRD 1993 Page-413

10– उक्त दोनों न्यायिक दृष्टान्तों में निम्न अभिमत प्रकट किया गया है :–

"Delay cannot be condoned when there is no sufficient cause for late filing of revision."

RBJ 2000 Page-72 में अभिमत प्रकट किया है कि **"Delay cannot be condoned on basis of vague observation."**

उन्होंने निम्न न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये :-

(i) RRD 1987 Page-453
(ii) RLR 2000(1) Page-468
(iii) RRD 2000 Page-102
(iv) AIR 1999 (Raj.) Page-248
(v) RBJ 2003 Page-272
(vi) RRT 2008(2) Page-1337

11- उक्त न्यायिक दष्टान्तों में निम्न अभिमत प्रस्तुत किया है।

12- हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदरपूर्वक परिशीलन किया गया।

13- पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रदार्श-3 जमाबन्दी संवत 2050-53 के अनुसार ग्राम सलेमपुर तहसील धौलपुर की आराजी खसरा नम्बर-39-1 बीघा 7 बिस्वा, 40-1 बीघा 7 बिस्वा, 48-2 बीघा 9 बिस्वा, 49-7 बिस्वा, 95-2 बीघा 11 बिस्वा, 96-2 बीघा 11 बिस्वा, 164-2 बीघा 14 बिस्वा, 166-2 बीघा 19 बिस्वा, 210-1 बीघा 15 बिस्वा किता 9 रकबा 18 बिस्वा पर मु. बुद्धो बेवा मोतीराम, मोहनसिंह नाबालिग पुत्र मोतीराम व सरपरस्ती मु. बुद्धो मॉ खुद हिस्सा बराबर 1/2 रामजीलाल पुत्र बेदरिया हिस्सा 1/2 जाति लोधा साकिन देह खातेदार दर्ज है।

14- प्रदर्श-1 बयनामा दिनांक 5-7-1979 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर-210 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा का विक्रय मोतीराम पुत्र पातीराम द्वारा भगवान सिंह, रामबाबू पिसरान रामजीलाल को 3500/-रू में कर दिया है। उक्त बयनामा में स्पष्ट तौर पर लिखा

गया है कि उक्त खसरा नम्बर बाहमी बंटवारे में उसके हिस्से में आया है और उस पर वह अकेला काबिज काश्त है। इसी बयनामा में पंक्ति संख्या–15 में लिखा है कि **''उक्त बयनामा करने में कोई ऐतराज रामजीलाल वल्द बेदरिया को नहीं है। रजामन्दी के हस्ताक्षर बतौर हैसियत गवाह रामजीलाल कर रहा है, पूर्ण विक्रय का रूपया मुझ मोतीराम ने ही प्राप्त किया है। रामजीलाल के हिस्से में अन्य नम्बरान हैं उसमें उक्त बयनामा का प्रभाव अन्य किसी नम्बर पर जो रामजीलाल के हिस्से में हैं, उन पर नहीं पड़ेगा।''** इस बयनामा पर रामजीलाल के हस्ताक्षर **E** से **F** हैं। स्वतंत्र गवाह भूरसिंह के हस्ताक्षर **A** से **B** हैं तथा सियाराम के हस्ताक्षर **C** से **D** हैं। सियाराम की साक्ष्य **PW-2** हैं।

15– प्रदर्श नकल वाद संख्या–121/90 की है जो पूर्व में हम दोनों पक्षकारों के मध्य न्यायालय सहायक कलेक्टर, धौलपुर में इस्तकरार हक तथा दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्म इम्तनाई दवामी के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था जो कि प्रदर्श–5 निर्णय दिनांक 7–6–1995 के अनुसार साक्ष्य वादी के **default** में खारिज कर दिया गया।

16– दो साक्ष्यों की गवाही का विवेचन किया जाना जरूरी है। **PW-2** सियाराम पुत्र रतनसिंह जो कि बयनामा दिनांक 5–7–1979 का गवाह है, ने कहा है कि रामबाबू, भगवानसिंह पिसरान रामजीलाल के हक में बयनामा किया था, जो प्रदर्श–1 है जिस पर **C-D** उसके हस्ताक्षर हैं। इस बयानामा पर मोतीराम ने अंगूठा किया था। अन्य व्यक्तियों में उसके, भूरी के व रामजीलाल के साईन हैं। वह अपने हस्ताक्षर पहचान सकता है। भूरीसिंह मर चुका है। रामजीलाल जिन्दा है। उसने जिरह में कहा कि खेत की खातेदारी किसकी थी उसे पता नहीं, किन्तु करता मोतीराम ही था।

17– इस प्रकार गवाह सियाराम जो कि बयनामा पंजीकृत होने के समय स्वतंत्र गवाह था, ने मुख्यतः दो बातें कही है। प्रथम तो बयनामा पर उसके व रामजीलाल के साथ भूरीसिंह, गवाह के हस्ताक्षर हैं तथा मोतीराम का अंगूठा निशानी हैं। दूसरी बात जो उसने कही वह यह है कि बयनामा के समय आराजी खसरा नम्बर–210 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा पर मोतीराम का कब्जा था। अतः वह मानता है कि मोतीराम व रामजीलाल के मध्य बाहमी बंटवारा हो चुका था और खसरा नम्बर–210 पर मोतीराम काबिज काश्त था।

18– **DW-1** मोहनसिंह पुत्र मोतीराम जो कि अपीलान्ट है, ने जिरह में स्वीकार किया है कि ''इन दोनों ने संयुक्त रूप से खेती नहीं की बल्कि खेतों को अलग अलग रूप में बांट लिया था कि अमुक खेत मेरा है व अमुक खेत तेरा है। इन पर शामिल सरीख 9 खेत थे जिनमें से आधे आधे बांट लिये थे। विवादग्रस्त खेत मोतीराम के हिस्से में आया, इस पर रामजीलाल का कोई हिस्सा नहीं था। यह बात सही है कि उक्त नम्बर बंटकर मोतीराम के हिस्से में आया था।'' इस प्रकार अपीलान्ट स्वयं यह मानते हैं कि बाहमी बंटवारा हो चुका था और विवादित आराजी खसरा नम्बर 210 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा मोतीराम के हिस्से में आया था। इस पर रामजीलाल का कोई हिस्सा नहीं था। अतः दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से यह भली भांति सिद्ध है कि विवादित भूमि का बाहमी बंटवारा हो चुका था और उक्त खसरा नम्बर मोतीराम के हिस्से में आया। इस खसरा नम्बर पर मोतीराम ही काबिज काश्त था। उक्त खसरा नम्बर का बेचना मोतीराम ने वादीगण को जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 5–7–1979 को कर दिया जिस पर रामजीलाल के भी हस्ताक्षर हैं तथा गवाह के रूप में सियाराम के हस्ताक्षर हैं।

19– परीक्षण न्यायालय ने दस्तावेजों तथा मौखिक साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन कर प्रत्येक तनकी पर स्पष्ट निर्णय दिया है और तनकी

संख्या–1 व 2 को वादीगण के पक्ष में पूर्णतया सिद्ध होना पाया गया है तथा तनकी संख्या–3 को प्रतिवादीगण साबित नहीं कर पाये हैं। इस कारण परीक्षण न्यायालय ने दावा डिक्री कर विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत निर्णय पारित किया है। अपीलीय न्यायालाय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर ने अपने निर्णय दिनांक 24–6–2004 में विस्तृत विवेचन करते हुये अपील खारिज की है जिसमें हमें कोई त्रुटि नजर नहीं आती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती हैं। हम अभिभाष रेस्पोन्डेन्ट के इस कथन से सहमत हैं कि जब दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती हों तो द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

20– जहां तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रश्न है अपीलान्ट का यह तर्क कि अपील में देरी सद्भाविक है, मानने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में दोनों पक्ष उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में निर्णय पारित किया गया और अपील की नकल दिनांक 6–7–2004 को प्राप्त हो गयी थी तो अपील समय पर पेश क्यों नहीं की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल ने अपने विभिन्न निर्णयों में जिनको रेस्पोन्डेन्ट के अभिभाषक ने उद्धृत किया है, में अपना अभिमत प्रकट किया है कि देरी के लिये एक एक दिन का कारण बताना होगा कि देरी क्यों हुई। अपीलान्ट का यह कथन कि वे गंभीर रूप से बीमार हो गये, मानने योग्य नहीं है क्योंकि उन्होंने इस संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किये हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाकर अपील इसी आधार पर खारिज की जाती है।

21– इसके अतिरिक्त उक्त अपील पर गुणावगुण पर भी विस्तृत विवेचन पूर्व में किया जा चुका है और अपीलान्ट ने हस्तगत अपील में ऐसा कोई ठोस तथ्य व विधिक बिन्दु प्रस्तुत नहीं किये हैं जिनसे यह

साबित हो कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि कारित की हो। अतः गुणावागुण के आधार पर भी उक्त अपील खारिज किये जाने योग्य है।

22– फलतः यह अपील खारिज की जाती है तथा न्यायालाय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर का निर्णय दिनांक 24–6–2004 एवं न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, धौलपुर का निर्णय दिनांक 25–2–2002 यथावात रखे जाते हैं। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य